न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(श्री त्रिलोकचन्द मीना, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा)

दावा संख्या :– 01/2024

दायर दिनांक :– 06.06.2024

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरजीलाल पुत्र सुखदेवा जाति गुर्जर निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. गुलाब धर्मपत्नी बालू निवासी खद्दो की झोपडियों ग्राम पंचायत सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

–रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021

उपस्थितः–अपीलान्ट राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) तहसील उनियारा उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 13.08.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:–

यह कि ग्राम बनेठा का नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.09.2021 को मुताबिक प्रिंट रिसोर्स पर्सन के अंकित किया गया है, जिसमें रिसोर्स पर्सन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 में से मात्र 0.29 है0 मुताबिक विक्रय पत्र विक्रय होने के बाद भी सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.60 है0 अंकित हो गया है, जो लिपिकीय त्रुटि व मानवीय भूलवश हो गया है तथा कार्य की अधिकता के कारण जांच में सरसरी तौर पर कमी रहने से पटवारी हल्का का ध्यान पूर्ण रूप से कॉलम संख्या 10 में अंकित क्षेत्रफल की तरफ नहीं लगने से सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नामान्तरकरण इसी प्रकार लिपिकीय भूल के कारण दिनांक 30.09.2021 में भू अभिलेख की निरीक्षक की जांच में भी सत्यापित होना प्रतीत होता है तदनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.10.2021 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 2925 को स्वीकृत कर दिया गया। पक्षकारान क्रेता व विक्रेता द्वारा इस क्रियान्विति को अन्यथा लिया जा रहा हो ऐसी स्थिति में रिकार्ड की शुद्धि व क्रेता तथा विक्रेता को राहत दिलाने के प्रयोजन से उचित कार्यवाही हेतु उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक हो गया है। अपीलान्ट का निवेदन है कि उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर उक्त नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 को शुद्धिकरण करवाये जावे एवं उक्त त्रुटि लिपिकीय/मानवीय भूल से होने से नामान्तकरण शुद्ध(संशोधन)किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त अपील पेश होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरजीलाल पुत्र सुखदेवा जाति गुर्जर निवासी बनेठा तहसील उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 12.06.2024 अनुसार ग्राम बनेठा का नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.09.2021 को मुताबिक प्रिन्ट रिसोर्स पर्सन के अंकित किया गया, जिसमें रिसोर्स पर्सन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 में से 0.29 है0 मुताबिक विक्रय पत्र विक्रय होने के बाद भी सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.60 है0 अंकित हो गया है, जो लिपिकीय त्रुटि व मानवीय भूलवश हो गया है। राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत अपील से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरजीलाल पुत्र सुखदेवा जाति गुर्जर निवासी बनेठा को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 गुलाब धर्मपत्नी बालू जाति जाट निवासी खद्दो की झोपडियों ग्राम पंचायत सुरेली तहसील उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब

दिनांक 29.07.2024 अनुसार ग्राम बनेठा का नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.09.2021 को जरिये प्रिन्ट रिसोर्स पर्सन के अंकित किया गया, जिसमें रिसोर्स पर्सन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 में से 0.29 है0 जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी तथा विक्रय पत्र के नामान्तरकरण में लिपिकीय त्रुटि व मानवीय भूल होने से उक्त सम्पूर्ण रकबा का नामान्तरकरण दर्ज हो गया जो गलत है। अतः उक्त अपील को स्वीकार कर विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करवाया जाकर संशोधन करवाया जाने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 13.08.2024 को पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा में लिपिकीय त्रुटि व मानवीय भूल के कारण विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 67 पृष्ठ संख्या 41 क्रम संख्या 1344 में वर्णित खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 भूमि में से 0.29 है0 भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था किन्तु सहवन से सम्पूर्ण भूमि 0.60 है0 का नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, जो गलत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि यदि नामान्तकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा को खारिज कर विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 67 पृष्ठ संख्या 41 क्रम संख्या 1344 में वर्णित खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 भूमि में से 0.29 है0 भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को कोई आपति नहीं है। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों जमाबन्दी संवत् 2070–2074 के खाता संख्या 911 वाके ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक, रिपोर्ट नायब तहसीलदार बनेठा क्रमांक एलआर/8407 दिनांक 21.11.2022, नामान्तकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा की प्रमाणित प्रति एवं विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 67 पृष्ठ संख्या 41 क्रम संख्या 1344 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2012 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 67 पृष्ठ संख्या 41 क्रम संख्या 1344 में वर्णित खसरा नम्बर 5798/5706 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5800/5709 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.60 है0 भूमि में से 0.29 है0 भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था किन्तु सहवन से सम्पूर्ण भूमि 0.60 है0 का नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, जो लिपिकीय त्रुटि व मानवीय भूल के कारण हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रथमदृष्ट्या अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2925 दिनांक 20.10.2021 ग्राम बनेठा पटवार मण्डल बनेठा तहसील उनियारा को खारिज किया जाकर नायब तहसीलदार बनेठा को रिमाण्ड किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार बनेठा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13/08/2024

त्रिलोक चन्द मीना (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

CamScanner